

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

संचालनालय उद्योग के अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु ₹ 7.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 7,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

औद्योगिक नीति 2014-19 तहत पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु ₹ 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।